


30/11/21

पत्रावली पेश।

यह राजस्व प्रार्थना पत्र प्राचीनगीण की
और से अप्राचीनगीण के विरुद्ध अन्तर्गत
आदेश 9 नियम 4 व 9 संपठित धारा
151 सीपीसी के अन्तर्गत पेश कर
उक्त अनवानी मूल वाद संख्या 13/2018
जो दिनांक 17-03-2021 को अदम पेंकी/
अदम हाजरी में खारिज किया था को पुनः
नम्बर पर लेने का कथन किया है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 9
संपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर
उक्त अनवानी मूल वाद संख्या 13/2018
को पुनः दर्ज कर नम्बर पर लेने के
आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।


सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोंही)

